


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता

प्रामाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी0ई0-04 पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु हाथरस एवं अलीगढ़ वन प्रभाग की गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जाने वाली वांछित 1.6677 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि (हाथरस-1.0082 हे.+अलीगढ़-0.6595 हे.) के सापेक्ष दोगुना अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पारेषण लाईन के नीचे बौने तथा औषधीय पौधों के रोपण हेतु आनेवाला व्यय, जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, उसका भुगतान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये जाने की वचन बद्धता दी जाती है।


18/1/18

S. K. Singh
D.G.M.
Powergrid, Aligarh